Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority

© Govt. of Haryana

146-2015/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 18, 2015 (SRAVANA 27, 1937 SAKA)

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 अगस्त, 2015

संख्या 44/1/2015–5पोल.–जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम, 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना संख्या 44/1/2015–5पोल, दिनांक 14 मई, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना संख्या 44/1/2015–5पोल, दिनांक 14 मई, 2015 में,–

1. "सैक्टर–83, गुड़गांव" शब्दों, चिह्नों तथा अंकों, जहां कहीं भी आएं, के स्थान पर, "गांव सीही, शिकोहपुर, खेरकी दौला तथा सिकन्दरपुर बड़ा, जिला गुड़गांव" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
2. "वाणिज्यिक कालोनियां" शब्दों, जहां कहीं भी आएं, के स्थान पर, "कालोनियां" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
3. विद्यमान पैरा 2 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2 आयोग द्वारा, उपरोक्त निर्दिष्ट क्षेत्रों में लाइसैंस प्रदान करने के सम्बन्ध में सभी अनियमितताओं, अवैद्यताओं तथा असदभावी के सम्बन्ध में तथा शिकायतों या आरोपों के सम्बन्ध में भी, जो किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के ग्रुप, हस्ती या संघ द्वारा ऐसे रूप में, जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, आयोग के समक्ष किए जाएं, जांच की जाएगी ।"।

डी०एस० ढेसी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Notification

The 18th August, 2015

No. 44/1/2015-5Pol.— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commission of Enquiry Act, 1952 (Central Act 60 of 1952), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, General Administration Department, notification No. 44/1/2015-5Pol., dated the 14th May, 2015, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, General Administration Department, notification No. 44/1/2015-5Pol, dated the 14th May, 2015,-

1. for the words, signs and figures "sector-83, Gurgaon", wherever occurring, the words and signs "villages Sihi, Shikohpur, Kherki Daula and Sikandarpur Bada in district Gurgaon"shall be substituted ;
2. for the words "Commercial colonies", wherever occurring, the words "colonies" shall be substituted;
3. for existing para 2, the following para shall be substituted, namely:-

"2. The inquiry by the Commission shall be in regard to all irregularities, illegalities and malafides regarding grant of licenses in above referred areas and also in regard to complaints or allegations that may be made before the Commission by any individual, group of individuals, entity or association in such form, as may be specified by the Commission.".

D. S. DHESI,
Chief Secretary to Government, Haryana.